प्रेषक

महानिरीक्षक निबन्धन

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवामें

1- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
पदेन जिला निबन्धक, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त उप निबन्धक
उत्तर प्रदेश।

संख्या 1038/टी0ए0सी0-2013 दिनांक 03 जुलाई 2013

विषयः स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित विलेखों की सही प्रतियों के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा-51(2) के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक रजिस्ट्रेशन अधिनियम,1908 की धारा-51, जो उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-36 वर्ष 2001 द्वारा दिनांक 20 मई,2002 से संशोधित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा-51(2) के अनुसार बही संख्या-1 में धारा 17,18 और 89 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वे सब दस्तावेजों या ज्ञापन को जो स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित है और वसीयत नही है, सही प्रतियां फाइल की जायेगी। धारा-51(3) के अनुसार बही संख्या-4 में धारा-18 के खण्ड (घ) और (च) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उन सभी दस्तावेजों की सही प्रतियां फाइल की जायेंगी जो स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित नही है।

2- उक्त प्रसंग में यह संज्ञान में आया है कि सम्प्रति सभी मुख्तारनामा आम के विलेखों का पंजीयन निबन्धन कार्यालयों में बही संख्या-4 में किया जा रहा है जो धारा-51 रजिस्ट्रेशन अधिनियम जो उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-36 वर्ष 2001 द्वारा दिनांक 20 मई, 2002 से संशोधित है के उक्त प्रावधानों के अनुसार विधिक दृष्टि से उचित नही कहा जा सकता है। बही संख्या-4 में मुख्तारनामा के उन सभी दस्तावेजों की सही प्रतियां फाइल की जायेंगी जो स्थवर सम्पत्ति से सम्बन्धित नही है। इससे स्पष्ट है कि मुख्तारनामा के उन सभी दस्तावेजों की प्रतियां बही संख्या-1 में फाइलकी जायेंगी जो स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित है।

3- अतः उपरोक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत एतद्द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि मुख्तारनामा के उन सभी दस्तावेजों की सही प्रतियां (जो स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित है) रजिस्ट्रेशन अधिनियम,1908 की धारा-51(2) की व्यवस्थानुसार बही संख्या-1 में फाइल की जाय। इन निर्देशों का सभी निबन्धनकर्ता अधिकारियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय अन्यथा इसे प्रतिकूल दृष्टि से देखा जायेगा।

भवदीय

ह0/-

(आलोक कुमार)

महानिरीक्षक निबन्धन

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

संख्या /टी0ए0सी0-2013 दिनांक 03 जुलाई 2013

प्रतिलिपिः   निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं पंजीयन, उ0प्र0 शासन को शासन के पत्र संख्याः 324/11--सं0वि0क0नि0-7-2013/2013(41) टी0सी0/2013 द्वारा प्राप्त बैठक दिनांक 11.03.2013 के कार्यवृत्त के अनुपालन के सन्दर्भ में सूचनार्थ।

2- समस्त जिलाधिकारी, उत्त्र प्रदेश।

3- समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

ह0/-
(आलोक कुमार)
महानिरीक्षक निबन्धन
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद